उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 7559/18 दिनांक 5/9/18

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामी अतुलानन्द कालेज ऑफ नर्सिंग,
ग्राम परमानन्दपुर, पोस्ट शिवपुर,
वाराणसी।

विषय–जी0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु बिना सम्बद्धता प्राप्त किये विज्ञापन जारी करने के संबंध में।

महोदय,

आपकी संस्था स्वामी अतुलानन्द रचना परिषद द्वारा प्रस्तावित स्वामी अतुलानन्द कालेज ऑफ नर्सिंग, वाराणसी को उ0प्र0 शासन द्वारा जी0एन0एम0 प्रशिक्षण की 40 सीट पर शासनादेश इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

आप द्वारा जी0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बिना मान्यता/सम्बद्धता के दिनॉक 27 अगस्त, 2018 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है, (प्रति संलग्न)। जो शासनादेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः यदि आपकी संस्था को इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की मान्यता का पत्र अथवा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का सम्बद्धता पत्र प्राप्त हुआ हो तो अतिशीघ्र कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा आपकी संस्था को शासन से प्राप्त मान्यता समाप्त कराने के साथ–साथ विधिक कानूनी कार्यवाही कराने पर विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।